न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 125/25

दिनांक 26.9.25

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री अमरलाल मेघवाल पुत्र/पुत्री/पत्नी मांगीलाल मेघवाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सोलतपुरा पटवार मण्डल कँड़ावन तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073 - 76 के खाता संख्या 02 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/जाति अमरलाल पुत्र मागया जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी कँड़ावन से करवाने पर पटवारी ने अमरलाल पुत्र मागया चमार के बजाय अमरलाल पुत्र मांगीलाल मेघवाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में अमरलाल पुत्र मागया जाति चमार के बजाय अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम सोलतपुरा के खाता संख्या 02 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ का नाम/जाति अमरलाल पुत्र मागया जाति चमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से अमरलाल पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां

छबड़ा (बारां)